न्यायालय उपखण्ड अधिकारी कुचामनसिटी जिला डीडवाना–कुचामन(राज.)

वादी	ब ना म	प्रतिवादीगण
हनुवंतसिंह पुत्र मंगेजसिंह जाति राजपूत निवासी टोरडा तहसील कुचामनसिटी		बजरंगसिंह पुत्र मंगेजसिंह जाति राजपूत निवासी टोरडा वगैरह

राजस्व वाद–पत्र = इस्तकरार हक व स्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 88, 188 R.T.R.Act 1955

राजस्व वाद–पत्र नम्बर = 72/2024 GCMS No.2024/ 132

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिलियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तारीख में जारी हुए
30.05.2024	वकील वादी द्वारा यह वाद पत्र इस्तकरार हक व स्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 88, 188 R.T.R.Act 1955 के तहत प्रतिवादीगण के विरूद्व पेश किया। वाद–पत्र दर्ज रजिस्टर हो। प्रतिवादीगण जरिये सम्मन तलब होकर पत्रावली दिनॉक 25.06.2024 को पेश हो। उपखण्ड अधिकारी कुचामन सिटी (डीडवाना-कुचामन)	
25/06/2024	वकील वादी उपस्थित। प्रति० 1 व 2 की [illegible] [illegible] प्रति० 4 का सम्मन तामील पेश प्राप्त। अवधि समाप्त गयी अतः वे एक पक्षीय कार्यवाही की जाती है प्रति० 3 की तामली हेतु सम्मन प्रेषित करें पत्रावली दिनांक 06/8/2024 को पेश हो।	
6/8/24	पत्रावली पेश हुयी। वाद पत्र द्वारा अग्रिम आदेश स्थगन रखा गया है। पत्रावली दिनांक 23/09/24 को पेश हो।	
23/9/2024	पत्रावली पेश हुई/आप श्रीमान उपखण्ड अधिकारी राजकार्य/अवकाश से बाहर पधारे है। अतः पत्रावली दिनांक 5/11/2024 को पेश हो।	
5/11/24	पत्रावली पेश [illegible] [illegible] [illegible] गयी। वाद पत्र [illegible] [illegible] किया जाता है। पत्रावली [illegible] नम्बर [illegible] होकर दाखिल दफ्तर हो।	

Signature Not Verified
Digitally signed by Sunil Kumar
Date: 2024.12.13 11:38:15 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
कुचामन सिटी (डीडवाना-कुचामन)